दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ उपा।

आलेपी सोनू रघुराज, ग्याराम, स्वय सहित भी अरून श्रीवास्वत अधिवक्ता उपिस्थत।

करियादी रघुनाथ ने उपस्थित होकर अवयस्थ आहत सुरखा की और से ने राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा की अनुमति बावत् आवेदन येश किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दिशित है कि आरोपी सोनू ग्याराम, रघुराज के विरुद्ध भाद स की धारा 325 विकल्प में 325/34 माद वि के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया हैं जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। फरियादी रघुनाथ कुशवाह ने अवयस्क सुरखा जिसका वह पिता है और धारा 320 दं0प्र0स0 के अधीन सुरखा की ओर से सविदा करने हेतु सक्षम है ने आरोपीगण से खेन्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। आवेदक रघुनाथ कुशवाह राजीनामा।

करने के लिये सक्षम है। जत उमयपकों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

आरोपीगण व फरियादी रघुनाश्च कुशबाह द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अतः राजीनामा के अधार पर आरोपी सोनू ग्यादीन व रघुराज को भादस की घारा 325 विकल्प में 325/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे ।

> पोटासीन अधिकारी, लोक अदालत पीठ कमाक -22

सदस्य

श्री प्रमोद स्वामी एड गोहद

SI

श्री सतेन्द्रसिंह तोमर एड गोहद